अध्याय XIV : कौशल विकास, उद्यमिता, युवा मामले एवं खेल मंत्रालय

भारतीय खेल प्राधिकरण

14.1 व्यर्थ व्यय होना

सुरक्षा मामलों की ओर पर्याप्त ध्यान दिए बिना खेल अवसंरचना का निर्माण करने के परिणामस्वरूप ₹14.15 करोड़ मूल्य की अवसंरचना बेकार रही और ₹1.28 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ। इसके अतिरिक्त जनजातीय युवकों को खेल प्रशिक्षण देने का उद्देश्य पूरा नहीं हुआ।

भारतीय खेल प्राधिकरण (भा.खे.प्रा.) ने हजारीबाग, झारखण्ड में निकटवर्ती[1] जिलों से जनजातीय युवकों को विभिन्न खेल अनुशासनों में प्रशिक्षण देने के लिए एक उप केन्द्र की स्थापना करने का निर्णय लिया (दिसम्बर 2001)। उप केन्द्र में इन्डोर तथा आउटडोर खेल सुविधाएं[2] सृजित की जानी थी। यद्यपि हजारीबाग एक लेफ्ट विंग अतिवाद प्रभावित क्षेत्र था तथापि, भा.खे.प्रा. ने उप केन्द्र के स्थान का चयन करते समय सुरक्षा के पहलू (खेल कर्मियों/प्रशिक्षकों की/निर्माण के दौरान) की ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया था। राज्यमंत्री ने उजागर किया (अगस्त 2004) कि हजारीबाग एक उपद्रवग्रस्त क्षेत्र था तथा उप केन्द्र के स्थान को एक अन्य स्थान पर स्थानांतरित करने के लिए कहा।

झारखण्ड राज्य सरकार द्वारा हजारीबाग में पद्मा गांव में 47.5 एकड़ के माप वाली एक नि:शुल्क भूमि का टुकड़ा इस शर्त पर कि इसका अभीष्ट उद्देश्य हेतु उपयोग न होने के मामले में राज्य सरकार झारखण्ड को यह भूमि वापस कर दी जाएगी, आबंटित की गई (जून 2003)। भा.खे.प्रा. ने, परियोजना के लिए ₹15.66 करोड़ के प्रारंभिक अनुमान का अनुमोदन किया और प्रशासनिक अनुमोदन तथा व्यय की संस्वीकृति प्रदान की (जुलाई-अगस्त 2003)। भा.खे.प्रा.

---

[1] बोकारो, धनबाद, गिरिडिह, कोडर्मा, देवघर, दुमका, गोड्डा, पाकुर और साहेबगंज

[2] फुटबाल तथा हॉकी मैदान, बॉस्केटबाल, वॉलीबाल, कबड्डी आहाता, एथेलेटिक ट्रैक, छात्र और छात्रा छात्रावास, प्रशासनिक भवन, बहुउद्देशीय हॉल तथा निवासीय क्वार्टर

ने सितम्बर 2003 में, परियोजना का निर्माण कार्य राष्ट्रीय भवन निर्माण कम्पनी लिमिटेड (रा.भ.नि.क.), भारत सरकार का एक उद्यम, को सौंपा गया था। यद्यपि, अनुबंध के अनुसार, निर्माण कार्य पूर्ण होने की निर्धारित तिथि दिसम्बर 2004 थी, रा.भ.नि.क. ने दिसम्बर 2003 में कार्य आरम्भ किया और लगभग चार वर्षों के विलम्ब के बाद अर्थात् मई 2008 में पूर्ण किया गया था। विलम्ब को, मजदूरों की सुरक्षा पर आरोपित किया गया था। ₹14.15 करोड़ खर्च करने के पश्चात भा.खे.प्रा. ने, जून 2010 में, अवसंरचना अपने अधिकार में ली।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से प्रकट हुआ (मार्च 2014) कि उप-केन्द्र को, राज्य सरकार से सुरक्षा स्वीकृति की प्रतीक्षा में परिचालनात्मक नहीं बनाया जा सका। इसी बीच, सीमा सुरक्षा बल, दक्षिणी बंगाल, फ्रन्टियर, कोलकाता (सी.सु.ब.) ने हजारीबाग स्थित भा.खे.प्रा. की अवसंरचना में अपनी रूचि दिखाई और पूरा परिसर थोक भाव से उनको हस्तांतरित करने के लिए प्रस्तावित किया (नवम्बर 2012)। भा.खे.प्रा. के महानिदेशक प्रस्ताव पर विचार करते हुए झारखण्ड सरकार के मुख्य सचिव ने जनवरी 2013 में, इस उद्देश्य हेतु सी.सु.ब. के साथ समझौता करते समय 'अनापत्ति' प्रमाणपत्र जारी करने का अनुरोध किया। राज्य सरकार द्वारा अभी मामले का उत्तर दिया जाना था (दिसम्बर 2014)। लेखापरीक्षा संवीक्षा के दौरान यह और प्रकट हुआ कि केन्द्र के अनुरक्षण पर ₹1.28 करोड़[3] और खर्च किए गए जो निष्फल सिद्ध हुए।

भा.खे.प्रा.-एन.एस.ई.सी. ने बताया (दिसम्बर 2014) कि महानिदेशक के साथ-साथ क्षेत्रीय कार्यालय मामले का समाधान करने के लिए राज्य सरकारी प्राधिकरणों के साथ सशक्त रूप से मामला उठा रहे थे। तथापि, ऐसी प्रारंभिक कार्रवाई का परिणाम अभी तक प्रतीक्षित था तथा अवसंरचना दिसम्बर 2014 तक अप्रयुक्त रहा।

---

[3] तैनात किए गए प्रशिक्षकों/स्टाफ के वेतन और भत्ते: ₹89.28 लाख; बिजली का बिल ₹38.93 लाख (मार्च 2014 तक)

इस प्रकार, सुरक्षा मामलों का पर्याप्त ध्यान दिए बिना अवसंरचना के सृजन के परिणामस्वरूप ₹14.15 करोड़ का निवेश व्यर्थ हुआ और ₹1.28 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ (दिसम्बर 2014)।

मामला मंत्रालय को अक्तूबर 2014 में सूचित किया गया था; उनका उत्तर फरवरी 2015 तक प्रतीक्षित था।

14.2 निष्फल व्यय

भा.खे.प्रा. द्वारा उत्तर पूर्वी पर्वतीय विश्वविद्यालय शिलांग में अभीष्ट सुविधा के उपयोग की व्यवहार्यता का पता लगाए बिना एस्ट्रो टर्फ हॉकी फील्ड की स्थापना का अनुमोदन करने से निर्माण कार्य को रद्द किया गया। स्थल पर किया गया ₹82 लाख का व्यय परिणामत: निष्फल सिद्ध हुआ।

भारतीय खेल प्राधिकरण (भा.खे.प्रा.) की वित्त समिति ने, उत्तर पूर्वी पर्वतीय विश्वविद्यालय, शिलांग में विशेष क्षेत्र खेल केन्द्र (वि.क्षे.खे.) की स्थापना का अनुमोदन किया (अगस्त 2008)। इसमें ₹158.09 लाख तथा ₹358.11 लाख की लागत पर दो निर्माण कार्यों अर्थात क्रमश: 'हॉकी के लिए खेल मैदानों हेतु स्थलों का विकास' तथा 'हॉकी के लिए कृत्रिम सतह बिछाने' सहित एस्ट्रो टर्फ हॉकी फील्ड का सृजन शामिल है। निर्माण कार्य अगस्त 2012 तक पूरा किये जाने का अनुमान था जिसके लिए भा.खे.प्रा. ने दिसम्बर 2008 से अगस्त 2012 के दौरान केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (के.लो.नि.वि.) को ₹440.11 लाख की निधियां जारी की।

लेखापरीक्षा ने पाया कि भा.खे.प्रा. ने अभीष्ट उद्देश्य हेतु सुविधा के उपयोग की व्यवहार्यता सुनिश्चित किए बिना परियोजना का अनुमोदन किया था, महानिदेशक भा.खे.प्रा. ने निर्माण कार्य की प्रगति की समीक्षा करने के उपरांत निर्माण कार्य इस आधार पर रद्द कर दिया (अक्तूबर 2012) कि हॉकी न तो वि.क्षे.खे. शिलांग में एक अनुमोदित खेल अनुशासन था और न ही हॉकी मेघालय तथा असम में कोई प्रचलित खेल था। यह भी निर्णय किया गया था कि ऐसी सृजित अवसंरचना को अन्य खेलों के लिए सिंथेटिक टर्फ बिछाने या अन्य उद्देश्यों हेतु उपयोग किया जा सके।

लेखापरीक्षा ने यह और पाया कि परियोजना के बन्द होने के समय, के.लो.नि.वि. ने फील्ड के विकास पर ₹82 लाख की राशि व्यय की थी लेकिन 'कृत्रिम सतह' हेतु जारी की गई ₹358.11 लाख की राशि अप्रयुक्त रही। तदनुसार, भा.खे.प्रा. ने के.लो.नि.वि. को सूचित किया (अक्तूबर 2012) कि अव्ययित राशि को चल रही अन्य परियोजनाओं के लिए उपयोग किया जा सकता है। तथापि, जैसा कि परियोजना के बन्द होने के दौरान देखा गया, स्थल को अन्य खेलों हेतु विकसित नहीं किया जा सका (जनवरी 2015)।

इस प्रकार, भा.खे.प्रा. के परियोजना की व्यवहार्यता का पता लगाए बिना उसको कार्यान्वित करने के निर्णय से ₹82 लाख का निष्फल व्यय हुआ। इसके अतिरिक्त, कृत्रिम सतह बनाने के लिए के.लो.नि.वि. को जारी ₹3.58 करोड़ में से ₹1.10 करोड़ (दिसम्बर 2008 में जारी), अन्य परियोजनाओं हेतु राशि का उपयोग करने के लिए अक्तूबर 2012 में निर्णय लेने तक चार वर्षों से अधिक समय तक के.लो.नि.वि. के पास अवरूद्ध रहे।

भा.खे.प्रा. ने बताया (जनवरी-2015) कि बजट प्रतिबंधों के कारण तत्कालीन म.नि., भा.खे.प्रा. द्वारा योजना की समीक्षा की गई थी तथा हॉकी जो उस क्षेत्र में बहुत कम प्रचलित खेल था, से संबंधित कृत्रिम सतह बिछाने का कार्य रद्द कर दिया था। तथापि कृत्रिम सतह बिछाने के लिए तैयार किया गया ब्लैक टॉप सतह को अन्य विविध खेल गतिविधि हेतु उपयोग किया जाएगा।

उत्तर यह प्रमाणित करता है कि भा.खे.प्रा.का परियोजना के प्रारंभ में पर्याप्त परिश्रम करने में विफल रहने के कारण परियोजना को, इस आधार पर कि हॉकी उस क्षेत्र में प्रचलित खेल नहीं था, बीच में ही रद्द करना पड़ा जो दोषपूर्ण योजना बनाने का सूचक है। आगे, भा.खे.प्रा. ने पहले से खर्च की गई राशि का लाभकारी उपयोग करने के लिए एक ठोस योजना अभी बनानी थी।

मामला मंत्रालय को सूचित किया गया था (दिसम्बर 2014): उनका उत्तर फरवरी 2015 तक प्रतीक्षित था।